न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारी: रिछपाल सिंह बुरड़क, आर.ए.एस.)

अपीलार्थी

1. श्रीमती डालीबाई पत्नि स्व. ओटाजी, जाति- कुम्हार, निवासी- पोसालिया, तहसील- शिवगंज, जिला- सिरोही
2. श्रीमती हंजा पुत्री स्व. ओटाजी पत्नि छोगाजी, जाति- कुम्हार, निवासी- पोसालिया, हाल- धनापुरा, तह. सुमेरपुर, जिला- पाली
3. श्रीमती जसी पुत्री स्व. ओटाजी पत्नि कोनाजी, जाति- कुम्हार, निवासी- पोसालिया, हाल- बागसीन, तहसील- शिवगंज, जिला- सिरोही

बनाम

प्रत्यर्थी

1. श्री पकीया पुत्र स्व. ओटाजी, जाति- कुम्हार, निवासी- पोसालिया, तहसील- शिवगंज
2. श्री लछीया पुत्र स्व. ओटाजी, जाति- कुम्हार, निवासी- पोसालिया, तहसील-शिवगंज
3. श्री रतीलाल पुत्र स्व. ओटाजी, जाति- कुम्हार, निवासी- पोसालिया, तहसील-शिवगंज
4. श्रीमती जमनी पुत्री स्व. ओटाजी, जाति-कुम्हार, निवासी- पोसालिया, हाल-अहमदाबाद
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, शिवगंज

राजस्व अपील संख्या: 71/2018

"अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956"

उपस्थिति:

1. अधिवक्ता श्री दलपतराज परमार, अपीलार्थीगण की ओर से
2. अधिवक्ता श्री महावीर सिंह देवड़ा, प्रत्यर्थी संख्या- 1 से 4 की ओर से
3. पेरोकार सरकार, प्रत्यर्थी संख्या- 5 की ओर से

-: निर्णय :- **दिनांक 08 नवम्बर, 2019**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। अपीलार्थीगण की ओर से यह अपील तहसीलदार, शिवगंज द्वारा ग्राम पोसालिया, पटवार हल्का पोसालिया के स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1043 दिनांक 01.5.1981 को निरस्त कराने हेतु प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने के कारण विलम्ब की अवधि को कन्डोन कराने हेतु धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र भी अपील के साथ साथ अलग से प्रस्तुत किया गया है।

(2) प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थीगण को सम्मन जारी किये गये। अपील की सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी संख्या- 1 से 4 की ओर से अधिवक्ता श्री महावीर सिंह देवड़ा उपस्थित हुये एवं प्रत्यर्थी संख्या- 5 की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित हुये।।

(3) बहस सुनी गई। अपीलार्थी के अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि अपीलार्थीगण व प्रत्यर्थी संख्या- 1 से 4 एक ही परिवार के सदस्य है जो स्व. ओटाजी पुत्र वगताजी, जाति- कुम्हार, निवासी- पोसालिया के विधिक वारिसदार है। श्री ओटा पुत्र वगताजी का

.....पेज दो पर

स्वर्गवास आज से करीबन 40 वर्ष पूर्व हो चुका है। ओटाजी की मृत्यु के बाद इनके वारिसदार इनकी विधवा पत्नी श्रीमती डालीबाई (अपीलार्थी संख्या-1), व इनकी तीन पुत्रीया श्रीमती हंजा, श्रीमती जसी व श्रीमती जमनी (क्रमशः अपीलार्थी संख्या- 2 व 3 एवं प्रत्यर्थी संख्या-4) तथा इनके तीन पुत्र पकीया, लछीया व रंतीलाल (प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3) है। अपीलार्थीगण व प्रत्यर्थी संख्या-1 से 4 के संयुक्त कब्जे काश्त की पुश्तैनी कृषि भूमि ग्राम पोसालिया, पटवार हल्का पोसालिया के खाता संख्या 357 खसरा संख्या 1131/3 रकबा 10.15 बीघा किस्म जोड, खाता संख्या 356 खसरा संख्या 384 रकबा 5.02 बीघा किस्म ब.ा एवं खाता संख्या 564 खसरा संख्या 655 रकबा 22.15 बीघा, 657 रकबा 0.11 बीघा, खसरा संख्या 658 रकबा 0.07 बीघा व खसरा संख्या 659 रकबा 17.05 बीघा आई हुई है, जो पूर्व में राजस्व रेकर्ड में ओटाजी पुत्र वगताजी, जाति- कुम्हार, निवासी- पोसालिया के नाम से बतौर खातेदारीं की दर्ज थी, जिसमें से उक्त खाता संख्या 357 खसरा संख्या 1131/3 रकबा 10.15 बीघा भूमि ओटाजी पुत्र वगताजी कुम्हार का 1/3 हक हिस्सा व उक्त खाता संख्या 356 की कृषि भूमि अकेले ओटाजी पुत्र वगताजी कुम्हार के नाम से दर्ज थी व उक्त खाता संख्या 564 की कृषि भूमि में ओटाजी पुत्र वगताजी कुम्हार का 1/6 हक हिस्सा था। यह कि ओटाजी पुत्र वगताजी कुम्हार की मृत्यु के बाद ओटाजी पुत्र वगताजी कुम्हार के हक हिस्से की उक्त कृषि भूमि के संबंध में प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 ने हल्का पटवारी, पोसालिया से मेल मिलाप कर प्रत्यर्थी संख्या- 1 व 2 के पक्ष में हल्का पटवारी, पोसालिया से उत्तराधिकार का नामान्तरकरण संख्या 1043 दायर करवा लिया, जिसे तहसीलदार, शिवगंज द्वारा दिनांक 01.5.1981 को स्वीकृत किया गया है जो विधि सम्मत नही है। यह कि उक्त कृषि भूमि ओटाजी पुत्र वगताजी कुम्हार के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी तथा अपीलार्थीगण व प्रत्यर्थी संख्या- 3 व 4 भी ओटाजी पुत्र वगताजी कुम्हार के प्रथम श्रेणी के वारिसान होने से ओटाजी पुत्र वगताजी कृम्हार की कृषि भूमि में इनका भी समान रुप से हक हिस्सा बनता है व राजस्व रेकर्ड में अपना नाम दर्ज करवाने का अधिकार रखते थे, लेकिन प्रत्यर्थी संख्या- 1 व 2 ने तत्कालीन हल्का पटवारी से मेल मिलाप कर जानबूझ कर अपीलार्थीगण व प्रत्यर्थी संख्या- 3 व 4 के पक्ष में नामान्तरकरण दायर नही करवाया तथा हल्का पटवारी ने भी नामान्तरकरण दायर करने से पूर्व ओटाजी पुत्र वगताजी के विधिक वारिसान के संबंध में कोई जांच नही की। जबकि हल्का पटवारी को मृतक खातेदार ओटाजी पुत्र वगताजी कुम्हार के विधिक वारिसदारों के संबंध में जांच कर सभी विधिक वारिसदारों के नाम से उत्तराधिकार का नामान्तरकरण दर्ज करना चाहिये था। यह कि अपीलार्थी संख्या-1 अनपढ़ व वृद्ध महिला है व अपीलार्थी संख्या- 2 व 3 एवं प्रत्यर्थी संख्या-4 भी कम पढी लिखी ग्रामीण महिलायें है व शादी के बाद से अपने अपने ससुराल में निवास कर रही है तथा प्रत्यर्थी संख्या-3 भी कम पढा लिखा व्यक्ति है व अहमदाबाद में रोजगार के सिलसिले में रहता है तथा इन सभी को अपने भाई प्रत्यर्थी संख्या- 1 व 2 से किसी तरह का कोई गिला शिकवा नही है व सभी मौके पर संयुक्त रुप से काश्त करते आ रहे है जिससे इन्होनें कभी भी अपनी खातेदारी कृषि भूमि बाबत कोई पूछताछ नही की तथा न ही ऐसी कोई आवश्यकता हुई। यह कि माह मई, 2018 में

....पेज तीन पर

प्रत्यर्थी सख्या-3 रतीलाल अपने गांव पोसालिया आया हुआ था तथा दिनांक 16.5.2018 को ग्राम पोसालिया में आयोजित राजस्व समस्या समाधान शिविर लगा हुआ था जिसमें प्रत्यर्थी संख्या-3 भी गांव वालो के साथ उक्त शिविर में गया एवं वहां पर उपस्थित हल्का पटवारी से अपने कृषि भूमि के संबंध में जानकारी मांगी तो हल्का पटवारी ने बताया कि उसके नाम से कोई कृषि भूमि राजस्व रेकर्ड में दर्ज नही है। तब प्रत्यर्थी संख्या-3 ने घर आकर अपनी मां व बहनों को उक्त बात बताई तो उन्होनें में भी इस संबंध में कोई जानकारी नही होना बताया। प्रत्यर्थी संख्या- 1 व 2 से पूछने पर उन्होनें भी संतोषजनक जवाब नही दिया व टालमटोली करने लगे। जिससे अपीलार्थीगण व प्रत्यर्थी संख्या 3 व 4 को शक होने पर हल्का पटवारी से पुराने रेकर्ड की जांच पडताल करवाई तो हल्का पटवारी ने काफी दिनों बाद पुराने नामान्तरकरण की पत्रावली खोजबीन कर यह बताया कि नामान्तरकरण संख्या 1043 दिनांक 01.5.1981 के जरिये ओटाजी पुत्र वगताजी कृम्हार की कृषि भूमि प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के नाम से दर्ज हुई है। तब अपीलार्थीगण व प्रत्यर्थी संख्या- 3 ने उक्त नामान्तरकरण की नकल हेतु आवेदन किया जो हल्का पटवारी ने दिनांक 14.8.2018 को तैयार कर दी, तब से यह अपील अन्दर मियाद पेश की गई है। अतः अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार कर प्रश्नगत नामान्तरकरण को निरस्त किया जावे एवं तहसीलदार, शिवगंज को ओटाजी पुत्र वगताजी कुम्हार की उक्त कृषि भूमि में अपीलार्थीगण व प्रत्यर्थी संख्या- 3 व 4 का नाम भी दर्ज करने हेतु निर्देशित किया जावे। जबकि प्रत्यर्थी संख्या- 1 से 4 के अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि यदि राजस्व रेकर्ड में अपीलार्थीगण व प्रत्यर्थी संख्या- 3 व 4 का नाम भी दर्ज किया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नही है। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया गया कि हल्का पटवारी, पोसालिया द्वारा खातेदार ओटाजी पुत्र वगताजी कुम्हार की मृत्यु के बाद उनके खातेदारी कृषि भूमि के संबंध में उत्तराधिकार का नामान्तरकरण संख्या 1043 दायर किया गया जिसे तहसीलदार, रेवदर द्वारा दिनांक 01.5.1981 को स्वीकृत किया गया है।

(4) उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं न्यायालय पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो यह पाया कि ग्राम पोसालिया, पटवार हल्का पोसालिया के खाता संख्या 356 खसरा संख्या 384/3 रकबा 5.02 बीघा, खाता संख्या 357 खसरा संख्या 1131/3 रकबा 10.15 बीघा एवं खाता संख्या 564 खसरा संख्या 655 रकबा 22.15 बीघा, खसरा संख्या 657 रकबा 0.11 बीघा, खसरा संख्या 658 रकबा 0.07 बीघा व खसरा संख्या 659 रकबा 17.05 बीघा कृषि भूमि के संयुक्त खातेदार/खोतदार ओटाजी पुत्र वगताजी, जाति- कुम्हार, निवासी- पोसालिया की मृत्यु के बाद हल्का पटवारी, पोसालिया द्वारा उत्तराधिकार का नामान्तरकरण संख्या 1043 दायर किया गया जिसे तहसीलदार, शिवगंज द्वारा दिनांक 01.5.1981 को स्वीकृत किया गया है। तहसीलदार, शिवगंज द्वारा स्वीकृत उक्त नामान्तरकरण संख्या 1043 दिनांक 01.5.1981 को निरस्त कराने हेतु अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध इस न्यायालय में दिनांक 10.9.2018 को प्रस्तुत की गई है, जो विलम्ब से प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थीगण द्वारा प्रश्नगत नामान्तरकरण संख्या 1043 दिनांक 01.5.1981 को निरस्त कराने हेतु यह अपील प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के कारण

.....पेज चार पर

अपीलार्थीगण ने यह अपील पेश करने में हुए विलम्ब की अवधि को कन्डोन कराने हेतु धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम के तहत प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र भी अपील के साथ साथ अलग से प्रस्तुत किया है। जिसमें अपीलार्थीगण ने यह अंकित किया है कि ओटाजी पुत्र वगताजी, जाति- कुम्हार, निवासी- पोसालिया के हक हिस्से की उक्त कृषि भूमि में अपीलार्थीगण व प्रत्यर्थी संख्या- 3 व 4 का नाम अंकित नही होने के संबंध में सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 16.5.2018 को हल्का पटवारी से हुई एवं जानकारी होने के बाद हल्का पटवारी से पुराने रेकर्ड की जांच पडताल करवाकर प्रश्नगत नामान्तरकण की नकल हेतु आवेदन किया व नकल प्राप्त होने पर अन्दर मियाद अपील प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थीगण ने धारा 5 के उक्त प्रार्थना पत्र के साथ अपीलार्थी संख्या-1 का शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है। अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र का प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से जवाब प्रस्तुत नही हुआ है एवं न ही ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत की है जिससे यह साबित हो सके कि मृतक खातेदार ओटाजी पुत्र वगताजी, जाति- कुम्हार, निवासी- पोसालिया की मृत्यु के बाद राजस्व रेकर्ड में अपीलार्थीगण का नाम दर्ज नही होने की जानकारी अपीलार्थीगण को पूर्व से रही हो। यह भी उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत नामान्तरकरण संख्या 1043 दिनांक 01.5.1981 को स्वीकृत करने से पूर्व तहसीलदार, शिवगंज ने अपीलार्थीगण व प्रत्यर्थी संख्या- 3 व 4 को सुनवाई हेतु नोटिस जारी नही किया है एवं न ही सुनवाई का अवसर प्रदान किया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के प्रतिकूल है। हल्का पटवारी, पोसालिया ने भी उक्त नामान्तरकरण को दायर करने से पूर्व खातेदार ओटाजी पुत्र वगताजी कुम्हार, निवासी- पोसालिया के विधिक उत्तराधिकारियों के संबंध में जांच नही की है एवं तहसीलदार, शिवगंज ने भी मृतक खातेदार ओटाजी पुत्र वगताजी, जाति- कुम्हार, निवासी- पोसालिया के विधिक उत्तराधिकारियों के संबंध में कोई जांच नही की है। जबकि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा- 8 के अुनसार अनुसूची के वर्ग 1 में विर्निदिष्ट प्रथम श्रेणी की अपीलार्थीगण व प्रत्यर्थी संख्या- 3 व 4 भी उत्तराधिकारी है, जो अपने पति/पिता ओटाजी पुत्र वगताजी, जाति- कुम्हार, निवासी- पोसालिया की सम्पति में अपने हक हिस्से अनुसार नाम दर्ज करवाने का अधिकार रखते है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 40 के अनुसार भी हिन्दू खातेदार के निर्वसीयत मृत्यु होने पर उसके उत्तराधिकार के संबंध में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के प्रावधान लागू होते है। विधिक दृष्टान्त आर.आर.सी. 1999 पेज 11 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया है कि ''मियाद अवधि जानकारी की तारीख से प्रारम्भ होती है न कि आदेश की तारीख से।'' ऐसी स्थिति में, अपीलार्थीगण द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि को कन्डोन कराने हेतु प्रस्तुत धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर विलम्ब की अवधि को कन्डोन करते हुए इस अपील प्रकरण को गुणावगुण के आधार पर निर्णित किया जा रहा है।

चूंकि प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि ग्राम पोसालिया के खाता संख्या 356 खसरा संख्या 384/3 रकबा 5.02 बीघा, खाता संख्या 357 खसरा संख्या 1131/3 रकबा 10.15 बीघा एवं खाता संख्या 564 खसरा संख्या 655 रकबा 22.15 बीघा, खसरा

.....पेज पांच पर

संख्या 657 रकबा 0.11 बीघा, खसरा संख्या 658 रकबा 0.07 बीघा व खसरा संख्या 659 रकबा 17.05 बीघा कृषि भूमि के संयुक्त खातेदार/खोतदार ओटाजी पुत्र वगताजी, जाति- कुम्हार, निवासी- पोसालिया की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार का नामान्तरकरण संख्या 1043 दिनांक 01.5.1981 को प्रत्यर्थी संख्या- 1 व 2 के पक्ष में तहसीलदार, शिवगंज द्वारा स्वीकृत किया गया है, जबकि अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थी संख्या- 3 व 4 भी ओटाजी पुत्र वगताजी, जाति- कुम्हार, निवासी- पोसालिया की पत्नी / पुत्र व पुत्रियां है, जो हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा- 8 के अुनसार अनुसूची के वर्ग 1 में विर्निदिष्ट प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी होने से अपने पति/पिता की सम्पति में अपने हक हिस्से अनुसार नाम दर्ज करवाने के अधिकारी है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 40 के अनुसार भी यदि किसी हिन्दू खातेदार की निर्वसीयत मृत्यु होती है तो उंसके उत्तराधिकार के संबंध में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के प्रावधान लागू होते है। ऐसी स्थिति में, प्रश्नगत नामान्तरकरण को निरस्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ तहसीलदार, शिवगंज को मृतक खातेदार ओटाजी पुत्र वगताजी, जाति- कुम्हार, निवासी- पोसालिया के विधिक उत्तराधिकारियों के संबंध में जांच कर पुन: विधि अनुसार नामान्तरकरण दायर कर निर्णित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित पाया जाता है।

अत: अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार, शिवगंज द्वारा ग्राम पोसालिया, पटवार हल्का पोसालिया के स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1043 दिनांक 01.5.1981 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ तहसीलदार, शिवगंज को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि मृतक खातेदार ओटाजी पुत्र वगताजी, जाति- कुम्हार, निवासी- पोसालिया के विधिक उत्तराधिरियों के संबंध में जांच कर पुन: विधि अनुसार नामान्तरकरण दायर करवाकर निर्णित करने की कार्यवाही करे। निर्णय सुनाया गया।

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Richpal Singh Burdak
Date: 2019.11.11 13:43:47 IST
Reason: SelfAttested
Location: